अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 4355—व-3-2023/5470 चण्डीगढ दिनांक 17/08/2028

विषय:-

Diversion of 0.5845 ha. of Forest land for construction of 220 KV D/C Mund-IOCL transmission Line in under forest Division & District Karnal.

(Online Proposal No. FP/HR/Trans/153329/2022).

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) हिरयाणा पंचकूला के अनुरोध पर मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक द्वारा HPVNL के कथित प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 में दिये प्रावधान के अनुसार अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.5845 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, इसमें 250 वृक्ष (वाल्यूम 264.77 एम3) बाधक हैं जो कटवाये जायेंगें तथा कोई इसके अतिरिक्त 500 पौधे बाधक भी नष्ट होगें। यह प्रस्ताव किसी भी प्रतिबंधित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। इस प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से कैम्पा के लेखा में निम्न प्रकार से जमा करवाई जायेगी।

कं0सं0	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	991900
2	बार्बेड वायर फन्सिग चार्जिज	277732
3	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फोरेस्ट लैण्ड	559822
4	अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	396760
5	Felling charges	370678
	Total	2596892

उक्त प्रस्ताव में प्रतिपुर्ति पौधारोपण की राशि से Drain No. 2 Munak Head to Dablana Bridge पर 3500 पौधे लगवाए जायेंगें। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना नही की गई है। इस प्रस्ताव की संस्तुति उपरान्त सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा)

कृतेः अतिरिक्त मुख्य सम्विव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग। Full Title of the Project: Diversion of 0.5845 ha of forest land for Construction of 220 KV D/C Mund- Transmission line in Under Forest Division and District Karnal, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Trans/153329/2022

PART-V

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)

Recommended for approval.

Date : 17/08/2013

Place: Chandigarh

Signature Singh, 17/08/23

Secretary to Govt. of Haryana, Forest & Wildlife Department

Office Seal:

Secretary to Govt. of Haryana,

Forest Department